

फर्द अहकाम

(नियम-26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री कन्हैया लाल पिता गोदू लाल नाई निवासी ऊंचा हाल रोड़वेज डिपो के पीछे, गंगापुर  
बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी  
किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 26/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17/02/21	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलान्ट श्री कन्हैया लाल पिता गोदूलाल नाई निवासी ऊंचा हाल रोड़वेज डिपो के पीछे, शास्त्रीनगर, गंगापुर जिला भीलवाड़ा ने सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 02.11.2020 को प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलार्थी को सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील जरिए डाक प्रस्तुत की गई है।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा दिनांक 02.11.2020 को सूचना चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, निर्धारित समय सीमा 30 दिवस में दिनांक 02.12.2020 तक सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की अवधि के भीतर दिनांक 01.01.2021 तक अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तुत अपील पर अपीलार्थी द्वारा अपने हस्ताक्षर कर दिनांक 12.03.2021 अंकित कर जरिए डाक प्रेषित की है जो दिनांक 17.03.2021 को इस कार्यालय में प्राप्त होना पाया जाता है।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की कालावधि समाप्त होने के लगभग 02 माह 16 दिवस पश्चात् दिनांक 17.03.2021 को अपील प्रस्तुत की है एवं अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का पर्याप्त/कोई कारण भी अंकित नहीं किया है। वस्तुतः अपील में विलम्ब से पेश करने बाबत कोई अंकन ही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपील ग्रहण योग्य नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।</p> <p style="text-align: center;">(के.के. शर्मा) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>	

